

सं. 40-3/2020-डीएम-1(ए)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक 28 दिसम्बर, 2020

### आदेश

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2) (ठ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी यह निर्देश देते हैं कि निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी के बारे में गृह मंत्रालय के दिनांक 25.11.2020 के समसंख्यक आदेश के तहत जारी किए गए दिशानिर्देश 31.01.2021 तक लागू रहेंगे।

**हस्ता0/-**

केन्द्रीय गृह सचिव

एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी)

सेवा में:

1. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सचिव
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक (संलग्न सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

- i. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य
- ii. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण